स्कूल न जाने वाले बच्चों के आँकड़ों के संकलन के लिये ऑनलाइन मॉड्यूल

प्रलिम्सि के लिये:

समग्र शिक्षा योजना, PRABANDH पोर्टल

मेन्स के लिये:

ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **शिक्षा मंत्रालय** ने प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा चिह्नित, स्कूल न जाने वाले बच्चों (कोविड -19 महामारी के कारण) के आकँड़ों को संकलित करने के लिये एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है।

- एकत्रित आँकड़ों की समग्र शिक्षा योजना के **PRABANDH पोर्टल** पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मैपिंग की जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

मॉड्यूल के संदर्भ में:

- मॉड्यूल के माध्यम से सरकार 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों के आयु-उपयुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगी।
- इसके अलावा 16-18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिये ओपन/डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से उनकी शिक्षा जारी रखने के लिये सत्र 2021-22 में पहली बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

PRABANDH पोर्टल के संदर्भ में:

- **PRABANDH** (परियोजना मूल्यांकन, बजट, उपलब्धियाँ और डेटा हैंडलिंग सिस्टम) दक्षता बढ़ाने और स्कूली शिक्षा के लिये एक केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना- **समग्र शिक्षा** के कार्यान्वयन का प्रबंधन करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
- यह अनुमोदन, विज्ञप्ति, वित्तीय स्थिति के संबंध में प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता के लिये है।
- साथ ही कार्यान्वयन के लिये वित्त की वास्तविक आवश्यकता का अधिक सटीक मूल्यांकन को सक्षम करने के लिये वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को भी सुव्यवस्थित करता है।

समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha):

प्रमुख प्रावधान:

- **समग्र शिक्षा पूर्व-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक** शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक सामूहिक योजना है।
- यह **सर्व शिक्षा अभियान** (SSA), **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** (RMSA) और **शिक्षक शिक्षा** (TE) की तीन योजनाओं को समाहित करती है।
- योजना का केंद्र बिंदु अंग्रेज़ी के **टी शब्द – टीचर्स और टेक्नोलॉजी** का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना है।

विज़न:

- यह शिक्षा के लिये सतत् विकास लक्ष्य (SDG) अर्थात् SDG 4 (समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी के लिये आजीवन अवसरों को बढ़ावा देना) का पूरक है।
- इसका उद्देश्य बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (**RTE**) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना है।
    - शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत एक मौलिक अधिकार है।
    - यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है।

वित्तीय स्वरूप:

- इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।
    - केंद्र और राज्यों के बीच योजना के लिये वित्तीय पैटर्न वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये **90:10** और अन्य सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों (जहाँ विधानसभा है) के लिये **60:40** के अनुपात में है।
    - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है उनके लिये 100% केंद्र प्रायोजित है।

डिजिटल शिक्षा पर ज़ोर:

- यह 5 वर्षों की अवधि में सभी माध्यमिक विद्यालयों में '**ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड**' को आगे बढ़ाएगा, जो शिक्षा में क्रांति लाएगा और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण कक्षाएँ तथा फ्लिप क्लासरूम आदि को सक्षम बनाएगा।
- **UDISE+ तथा शगुन** जैसी डिजिटल पहलों को मज़बूत किया जाएगा।
- इसके अलावा यह उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों में ICT के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करेगा।

ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

- प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम:
    - यह योजना डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के लिये मल्टीमोड एक्सेस कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई।
- स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स **(SWAYAM):**
    - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक छात्र को सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्राप्त हो।
- स्कूली शिक्षा के लिये एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन 'शगुन'
    - यह भारत सरकार और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी ऑनलाइन पोर्टलों व वेबसाइटों के लिये एक जंक्शन बनाकर स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की एक व्यापक पहल है।
- शिक्षा के लिये एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE) **और UDISE+**
    - UDISE, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये 2012-13 में शुरू किया गया **स्कूली शिक्षा** पर सबसे बड़ी **प्रबंधन सूचना प्रणाली** में से एक है, जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल, 9.4 मिलियन शिक्षक और लगभग 250 मिलियन बच्चे शामिल हैं।
    - UDISE+, UDISE का एक अद्यतन और उन्नत संस्करण है।
- निष्ठा (NISHTHA): शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम**-**
    - इसका उद्देश्य एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करना है।
- शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम (EQUIP)**:**
    - यह पाँच वर्षों (2019-2024) में शिक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक हस्तक्षेपों को लागू करके भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एक पंचवर्षीय योजना है।
    - इसके अलावा यह उच्च शिक्षा में पहुँच, समावेशन, गुणवत्ता, उत्कृष्टता और रोज़गार क्षमता बढ़ाने के सिद्धांतों पर आगे बढ़ने के लिये तैयार है।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान **(RUSA):**
    - यह अक्तूबर 2013 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करना है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/online-module-for-compiling-out-of-school-children-data